<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी– तुषार बिश्नोई (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या– 709/2021

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या–Cr.Reg.Case 709/2021

सीएनआर नम्बर RJJJ180012632021

सुरेश कुमार पुत्र बहादुरमल उम्र 40 साल निवासी ढाणा पोस्ट खेतड़ीनगर तहसील, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०) .....परिवादी

बनाम

राकेश सैनी पुत्र महावीर प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर–01 मनीयावाला कुआ ढाणा तहसील ,बुहाना जिला झुंझुनूं(राज०)

.....अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881</u>

उपस्थित–1. श्री महेश सांखला व श्री अशोक यादव –विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

2. श्री सीताराम सैनी – विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

–<u>निर्णय</u>– दिनांक 23.03.2026

01. परिवादी की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.10.2021 को पेश किये गये परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी की अभियुक्त से आपसी जान पहचान होने से अभियुक्त ने परिवादी से 3,00,000/–रूपये नकद उधार लिये थे। अभियुक्त ने इन रूपयों की अदायगी के पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 050790 दिनांक 14.08.2021 को राशि 3,00,000/–रूपये का ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा चिडत्रावा के अपने बैंक खाता संख्या 07272191073603 का अपने हस्ताक्षर कर दिया एवं अभियुक्त ने परिवादी को विश्वास दिलाया कि वह उक्त चैक की राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लेवे। परिवादी ने उक्त चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंघाना के अपने खाता संख्या 3300625114 में जमा करवाया, परंतु अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि(Funds insufficent)होने के कारण बैंक द्वारा अनादरित/डिसऑनर कर दिया एवं परिवादी को उक्त चैक का भुगतान नहीं हो सका। उक्त वर्णित चैक रिटर्न मैमो सहित दिनांक 20.08.2021 को परिवादी के बैंक ने लौटा दिया। जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए दिनांक 11.09.2021 को अभियुक्त को एक रजिस्टर्ड नोटिस बाबत अदायगी चैक

राशि हेतु दिलवाया। अभियुक्त को नोटिस दिनांक 13.09.2021 को प्राप्त होने के उपरांत भी अभियुक्त ने ना तो परिवादी को अनादरित चैक का भुगतान किया और ना ही विधिक नोटिस का जवाब दिया। अंत में निवेदन किया कि धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर परिवादी को अभियुक्त से उक्त चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि दिलवाई जाकर अभियुक्त को दण्डित किया जाये.....इत्यादि।

02. न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2021 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन. आई.एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर उसे तलब किया गया। अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे दिनांक 21.07.2022 को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य परिवादी में परिवादी की ओर से बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.01 सुरेश कुमार (स्वयं परिवादी) को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 असल चैक , प्रदर्श पी–02 चैक जमा की पर्ची, प्रदर्श पी–03 असल चैक रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी–04 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी–05 डाक की रसीद व प्रदर्श पी–06 ट्रेकिग रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया है।

04. अभियुक्त को धारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो उसने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना एवं झूंठा फंसाया जाना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया एवं अतिरिक्त कथनों में कथन किया कि उसने एक लाख रूपये लिए थे जो उसने किश्तों में चुका दिए और 15–20 हजार रूपये बकाया है , चैक उसने सिक्योरिटी पेटे दिया था ,उसके चैक का दुरूपयोग किया गया है । अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, लेकिन साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई।

05. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जाहिर किया कि परिवादी ने धारा 138 व 142 एन.आई. एक्ट की समस्त विधिक औपचारिकताओं की पालना की है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध परिवादी की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त को मिलने के उपरांत उसके द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है एवं अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है इस कारण भी परिवादी का मामला प्रमाणित हुआ है। उनका यह भी तर्क रहा है कि यदि अभियुक्त का चैक का

दुरूपयोग हुआ तो उसके द्वारा इसकी कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। अभियुक्त ने परिवादी से राशि उधार लेना एवं किश्तों में अदा करना तथा 15–20 हजार रूपये बकाया होना स्वीकार किया है जिससे परिवादी का मामला अभियुक्त के कथनों से ही साबित हो जाता है। परिवादी के पक्ष में धारा 118 की उपधारणा भी मौजूद है। अभियुक्त ने धारा 139 एन.आई एक्ट की उपधारणा को खण्डित नहीं किया है जो कि उसे साक्ष्य प्रस्तुत कर करनी चाहिए थी। ऐसी परिस्थितयों में परिवादी के द्वारा अपने प्रकरण को साबित किया गया है और अभियुक्त को चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि के अर्थदण्ड और कारावास से दण्डित करने का निवेदन किया।

06. इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जाहिर किया कि परिवादी की ओर से अभियुक्त को रूपये उधार दिये जाने की कोई लिखावट पेश नहीं की गई है एवं ना ही परिवादी ने अभियुक्त को रूपये उधार दिये जाने की कोई तारीख अपने परिवाद एवं साक्ष्य के दौरान बतायी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि परिवादी पेशे से एक अधिवक्ता है जो राशि उधार दिये जाने एवं चैक अनादरण के मामलों को भली भांति समझता था लेकिन इसके उपरांत भी परिवादी ने यह भी नहीं बताया कि अभियुक्त ने रूपये कितने समय के लिए उधार लिये थे एवं रूपये वापिस लौटाने का करार कब का किया था। उनका यह भी तर्क रहा है कि रिटर्न मैमो पर बैंक की सील अंकित नहीं है तथा चैक जमा पर्ची पर चैक के नम्बर अंकित नहीं है जिससे भी परिवादी का मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी परिस्थितयों में संदेह का लाभ देकर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

07. बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिंदु यह है किः–

1.क्या अभियुक्त राकेश सैनी द्वारा चैक संख्या 050790 राशि 3,00,000/–रूपये दिनांकित 14.08.2021 ओरियण्टल बैक ऑफ कामर्स शाखा चिड़ावा का अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को प्रदत्त किया, जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि "Funds insufficent" के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया। चैक अनादरण बाबत् परिवादी द्वारा विधिक नोटिस देकर चैक राशि की मांग की गई किंतु नोटिस के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा चैक की राशि अदा नहीं की गई। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा को खण्डित नहीं किया है तथा अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त का उक्त वर्णित अपराध हेतु उचित दंड क्या होगा ?

08. सर्वप्रथम न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि परिवादी के द्वारा धारा 138 एवं धारा 142 एनआई एक्ट के विधिक प्रावधानों की अनुपालना की गई है अथवा नहीं ? इस संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रलेखिय एवं मौखिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने परिवादी को चैक प्रदर्श पी–01 संख्या 050790 राशि 3,00,000/–रूपये दिनांकित 14.08.2021 का अपने खाता संख्या 07272191073603 ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा, चिड़ावा का दिया, जो दिनांक 20.08.2021 को रिटर्न मैमो प्रदर्श पी–03 के द्वारा खाते में अपर्याप्त राशि **"Funds insufficent"** होने के रिमार्क से अनादरित हो गया। चैक अनादरण के पश्चात् परिवादी ने अंदर मियाद दिनांक 11.09.2021 को जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रदर्श पी–04 जरिये डाक अभियुक्त के सही पते पर भिजवाया, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी–05 है। अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा नहीं की। अभियुक्त द्वारा चैक की राशि अदा नहीं करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2021 को हस्तगत प्रकरण न्यायालय में समय सीमा के भीतर पेश किया गया है। इस प्रकार से परिवादी द्वारा धारा 138 व 142 एन.आई. एक्ट के समस्त विधिक औपचारिकताओं की पालना की जानी दृष्टिगत है, जिसके अनुपालन में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 139 एन.आई. एक्ट में उपधारणा की जाती है।

एन.आई. एक्ट की धारा 139 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> **"धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा–** यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था"

09. इस उपधारणा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 139 में उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान हेतु ही चैक प्राप्त किया था। इस उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त "संभावनाओं की प्रबलता" के आधार पर इस उपधारणा को खंडित कर सकता है।

10. उक्त विचारणीय बिंदुओं के अवधारण तथा धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा के प्रकाश में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त ने

3,00,000/– रूपये के भुगतान हेतु अपने विधिक दायित्व को मानते हुए प्रकरण में वर्णित चैक प्रदर्श–01 जारी किया था अथवा नहीं ?

11. हस्तगत परिवाद में परिवादी सुरेश कुमार ने बतौर गवाह पी०डब्ल्यू–01 परीक्षित होकर अपने साक्ष्य शपथ पत्र के मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि परिवादी की अभियुक्त से आपसी जान पहचान होने से अभियुक्त ने परिवादी से 3,00,000/–रूपये नकद उधार लिये थे एवं अभियुक्त ने इन रूपयों की अदायगी के पेटे अभियुक्त को दिनांक 14.08.2021 को एक चैक संख्या 050790 राशि 3,00,000/–रूपये का भुगतान प्राप्त करने के लिए ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स शाख चिड़ावा का अपने हस्ताक्षर कर उसको भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया था। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को उसने अपने खाते में जमा करवाया तो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि **"Funds insufficent"** होने के रिमार्क के साथ उक्त चैक दिनांक 20.08.2021 को परिवादी को बैंक द्वारा लौटा दिया गया। जिसके बाबत् परिवादी द्वारा नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने ना तो नोटिस का जवाब दिया एवं ना ही चैक में वर्णित राशि का भुगतान किया। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–06 को प्रदर्शित करवाया गया। **दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया** कि वह पेशे से वकील है उसने तीन लाख रूपये कब उधार दिये इस बारे में अपने परिवाद में अंकित नहीं किया है। गवाह ने आगे इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने अपने लेनदेन के बारे में कोई लिखा पढी नहीं की थी ना ही पेश की हैं। रूपये कितने समय के लिए उधार दिये थे इस बारे मं परिवाद पत्र में अंकन नहीं किया गया है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जमा पर्ची प्रदर्श पी–02 पर चैक के नम्बर नहीं लिखे गये हैं एवं प्रदर्श पी–03 रिटर्न मैमों पर बैंक की सील नहीं है, केवल हस्ताक्षर हैं। गवाह ने आगे जाहिर किया कि इस मुकदमे के अलावा भी उसके एक दो अन्य मुकदमे चैक के संबंध में चल रहे हैं, जिनके उनवान उसे याद नहीं हैं। गवाह ने आगे जाहिर किया कि उक्त पैसे उसने अपने घर से अनाज बेचकर दिये थे। गवाह ने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अभियुक्त से खाली चैक लेकर गलत राशि भरकर चैक का दुरूपयोग किया हो।

12. इस प्रकार जो उक्तानुसार परिवादी की साक्ष्य आई है उससे यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी से रूपये उधार लिये थे एवं उधार ली गई राशि की अदायगी के पेटे अभियुक्त ने परिवादी को उपरोक्त वर्णित चैक दिया था जो परिवादी के खाते में अपर्याप्त राशि **"Funds insufficent"** होने से अनादरित हो गया एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी

को उक्त राशि की अदायगी के पेटे नोटिस दिये जाने एवं अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो जाने के उपरांत उसके द्वारा ना तो नोटिस का जवाब दिया गया एवं ना ही परिवादी से उधार ली गई राशि परिवादी को लौटाई गई।

13. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह उज्र है कि चैक जमा पर्ची पर चैक के नम्बर नहीं हैं तो इस संबंध में यदि प्रदर्श पी–02 चैक जमा पर्ची का अवलोकन किया जावे तो उस पर चैक के नम्बर लाल स्याही से अंकित किये गये हैं और लाल स्याही से बैंक के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं जिनके नीचे दिनांक 16.08.2021 अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक विद्वान अधिवकता अभियुक्त का यह उज्र रहा है कि चैक रिटर्न मैमो पर बैंक की सील अंकित नहीं है तो इस संबंध में यदि प्रदर्श पी–03 चैक रिटर्न मैमो का अवलोकन किया जावे तो चैक रिटर्न मैमो परिवादी के बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंघाना द्वारा जारी किया गया है और उस पर बैंक के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर नीली स्याही से स्पष्ट अंकित हैं। ऐसे में केवल बैंक की सील नहीं लगी होने के आधार पर इस रिटर्न मैमो को अनुचित या साक्ष्य में अग्राह्य होना नहीं माना जा सकता। ऐसे में उक्त दोनों उज्र खारिज किये जाते हैं

14. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह उज्र है कि परिवादी ने रूपये उधार देने की कोई लिखावट नहीं की, रूपये उधार देने की कोई तारीख नहीं बतायी, रूपये कितने समय के लिए उधार दिये थे, यह भी परिवाद पत्र में अंकित नहीं किया है और इस कारण परिवादी का परिवाद प्रमाणित नहीं पाया जाता है तो इस संबंध में न्यायालय यह समझता है कि **अभियुक्त ने अपने बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त कथनों में परिवादी से एक लाख रूपये उधार लेना और किश्तों में उनका चुकाया जाना जाहिर किया है। वह स्वयं कहता है कि 15–20 हजार रूपये बकाया हैं और उसने चैक सिक्योरिटी पेटे दिया था** तो ऐसे में जब अभियुक्त स्वयं ही परिवादी से रूपये उधार लेना स्वीकार कर रहा है तो अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त उज्र गौण हो जाता है। अब यह भार अभियुक्त पर है कि वह स्वयं के द्वारा किये गये उक्त कथनों को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य न्यायालय में लेकर आता, किन्तु बार बार साक्ष्य सफाई हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में अभियुक्त ने एक लाख रूपये ही उधार लिये हों यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त उज्र भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

15. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार

यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि जिस दिन अभियुक्त ने परिवादी को विवादित चैक दिया था उस दिन अभियुक्त का परिवादी के प्रति तीन लाख रूपये को चुकाने का विधिक दायित्व था और अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि **"Funds insufficent"** होने के कारण चैक प्रदर्श पी–01 अनादरित हो गया। ऐसे में अभियुक्त धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। परिवादी की ओर से पेश किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

16. परिणामतः अभियुक्त राकेश सैनी पुत्र महावीर प्रसाद सैनी उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 मनीयावाला कुआ ढाणा तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 में **दोषसिद्ध** करार दिया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियिमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

<u>सजा के प्रश्न पर –</u>

17. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि पक्षकारान के मध्य संव्यवहार सिविल प्रकृति का होने से अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उस पर कम से कम सजा अधिरोपित की जाकर अंत में अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अभियुक्त का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तथा अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

18. बहस के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्तमान में चैक अनादरण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए ही परक्राम्य लिखत अधिनियम में चैक अनादरण के मामलों को फौजदारी प्रकृति का बनाकर उसमें सजा का प्रावधान किया गया था। जिसका उद्देश्य देश में बढते हुए व्यापार ट्रेड कॉमर्स तथा औद्योगिक गतिविधियों को नियमित करना, वित्तीय मामलों में सतर्कता

सुनिश्चित करना तथा क्रेडिटर का चैक जारी करने वालों के प्रति विश्वास सुनिश्चित करना है जो कि देश के आर्थिक जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है। अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध किया है, जिससे पक्षकारान के बीच विश्वास प्रभावित हुआ है। अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि उधार ली गई है तथा उसी के पेटे अभियुक्त ने चैक जारी किया है। प्रकरण लगभग 05 वर्ष पुराना है। यदि ऐसे प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो परक्राम्य लिखत के संबंध में अविश्वास बढेगा, जिससे व्यावसायिक अडचनें पैदा हो जाएंगी। अभियुक्त का अपराध आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है और आर्थिक मत क्षेत्र के अपराधों में न्यायालय के विनम्र मतानुसार अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में न्यायालय प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त के आचरण को देखते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाना उचित समझता है।

–<u>दण्डादेश</u>–

19. परिणामतः अभियुक्त राकेश सैनी पुत्र महावीर प्रसाद सैनी उम्र 40 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 मनीयावाला कुआ ढाणा तहसील, बुहाना जिला झुंझुनूं को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में **दोषसिद्धि** के फलस्वरूप **01 वर्ष के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है एवं अभियुक्त पर चैक में वर्णित राशि की एवज में **4,00,000/–रूपये(अक्षरे चार लाख रूपये)**का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

20. अभियुक्त द्वारा जुर्माना की उक्त राशि जमा करवाने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिवीजन, अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

21. अभियुक्त द्वारा पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे। अभियुक्त का सजा वारंट नियमानुसार तैयार हो। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

22. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 23.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(तुषार बिश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)